केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर 334006

क्रमांकः–3(45)BK/ 2012/Vol.I/ दिनांकः– 10.09.2014

निविदा सूचना

संस्थान के फार्म प्रक्षेत्र में सेवण घास, पाला पत्ती हिस्सा पद्धति पर एकत्रित कराने के लिए तथा सेवण बीज दर प्रति किलोग्राम पर एकत्रित करने के लिए निर्धारित निविदा फार्म में दिनांक 01.10.2014 को 1 बजे तक अरनेस्ट मनी रू.5,000/– के साथ भरी हुई निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। शर्तों का विवरण निर्धारित निविदा प्रपत्र में अंकित है। निर्धारित निविदा प्रपत्र कार्यालय अथवा वेब साईट www.cswri.res.in से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 3 बजे खोली जायेंगी। संस्थान को किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्रभारी क्रय एवं भण्डार

केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, मरू क्षेत्रीय परिसर,
श्रीगंगानगर रोड,बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र, बीकानेर

क्रमांकः-3(45)BK/2012/Vol.I/ दिनांकः- 10.09.2014

निविदा प्रपत्र

संस्थान प्रक्षेत्र में सेवण घास, पाला की पत्ती हिस्सा पद्धति पर एकत्रित कराने के लिए तथा सेवण बीज एकत्रित करने के निविदा, निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 01.10.2014 को अपरान्ह 1 बजे तक रूपये 5000/- अग्रिम राशि के साथ आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन शाम 3 बजे समिति के द्वारा खोली जायेंगी।

नियम एवं शर्तेः-

1- संस्थान प्रक्षेत्र से हिस्सेदारी पद्धति पर सेवण घास, पाला की पत्ती काटकर, एकत्रित कर व सुखाकर देनी होंगी। हिस्सेदारी करने की व्यवस्था भी ठेकेदार की होगी। सेवण बीज इकट्ठा करके तुलवाना होगा।

2- संस्थान को सेवण घास एवं पाला पत्ती में अधिकतम हिस्सा देने वाला तथा बीज एकत्रित करने की प्रति किलोग्राम न्यूनतम दर दाता को सफल ठेकेदार माना जाएगा। सेवण घास, पाला की पत्ती एवं सेवण बीज के साथ मिट्टी अथवा किसी भी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिये।

3- उपरोक्त कार्य हेतु समस्त साधन ठेकेदार को अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करने होगें। संस्थान की घास/पत्ती का हिस्सा सेक्टरों पर प्रभारी प्रक्षेत्र द्वारा इंगित स्थान पर पहुँचाना होगा तथ इसके लिए ट्रेक्टर एवं ट्रॉली संस्थान से दिया जाएगा।

4- उपरोक्त कार्य निर्देश देने के दो माह में पूर्ण न करने की स्थिति में ठेकेदार को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा व अग्रिम राशि स्वतः ही जब्त हो जायेगी।

5- उपरोक्त कार्य प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग के प्रत्येक मौखिक/लिखित आदेशों का पालन ठेकेदार को पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से करना होगा अन्यथा जमा अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जायेगा।

6- ठेकेदार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की पालना कड़ाई से करनी होगी तथा किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंधन करने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. सेवण बीज एकत्रित करने वाले ठेकेदार को श्रम विभाग में पंजीकृत एवं आयकर विभाग के पेन कार्ड की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी अनिवार्य हैं, शेष हिस्सा पद्धति पर कार्य के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पहचान पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी अनिवार्य है।

8- संस्थान नियमानुसार अग्रिम /जमानत राशि, संतोषजनक कार्य सम्पन्न होने के बाद ही वापिस करेगा अन्यथा जब्त कर ली जायेगी।

9- ठेकेदार के किसी भी आदमी या मशीनरी द्वारा इस संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को की गई क्षति की पूर्ति स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।

10- किसी भी विवाद में प्रभागाध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा जो कि ठेकेदार को मानना होगा।

प्रभारी भण्डार अनुभाग

उपरोक्त नियम एवं शर्तें मैने पूर्ण होश हवास में पढ एवं समझ ली हैं और उपरोक्त कार्यों के लिए सेवण घास, पाला पत्ती एवं झांसडी में हिस्सा निम्न प्रकार होगाः-

	संस्थान का हिस्सा	ठेकेदार का हिस्सा
सेवण घास	____________	____________
पाला पत्ती	____________	____________
पाला झांसडी	____________	____________

तथा सेवण बीज दर रू. ____________________ प्रति किलोग्राम

हस्ताक्षर------------------------------

ठेकेदार क नाम----------------------

पता-----------------------------------